न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/297

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अलवर तहसील अलवर जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

1. सुमेर पुत्र हसमल
2. रहमती पुत्री हसमल
3. जुहुरी पुत्री हसमल
4. नूरजहां पुत्री हसमल
   समस्त जाति मेव निवासी ग्राम बल्लाबोडा तहसील व जिला अलवर।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय दिनांक 04.01.2024 बअदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर जिला अलवर प्रार्थना पत्र 03/33 बउनवानी सुमेर व अन्य बनाम राज0 सरकार जिसमे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया गया।

उपस्थित–

1. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल वकील अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक–02.08.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी अलवर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 04.01.2024 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेसपो0 संख्या 1 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 प्रस्तुत कर वाके ग्राम बल्लाबोडा तहसील व जिला अलवर में स्थित बंदोबस्त 2020 से पूर्व खसरा नं. 128 रकबा 5 बीघा 4 बीस्वा तथा बंदोबस्त संवत 2020 में कायम खसरा नं. 161 रकबा 15 बीघा 14 बीस्वा तथा 2051 मे कायम वर्तमान खसरा नं. 248 रकबा 52 एयर खसरा नं. 249 रकबा 40 एयर एवं खसरा नं. 250 रकबा 40 एयर जमाबदी में माफी मंदिर मदन मोहन जी महाराज का नाम दर्ज करने से दुरूस्ती हेतु प्रार्थना की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के आदेश दिनांक 04.01.2024 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 04.01.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी अलवर दिनांक 04.01.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । अपीलांट के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी गई । रेस्पो0 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य था। उक्त समस्त तथ्यों को अधिनस्थ न्यायालय ने नजरअन्दाज करते हुये जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 दुरूस्ती का प्रस्तुत कर घोषणा का अनुतोष चाहा गया था जिसे अधिनस्थ न्यायालय प्रदान करने में उक्त धारा 136 के तहत किसी भी रूप से सक्षम नही था। यदि रेस्पोडेन्ट के किसी प्रकार के हक व अधिकार अपीलाधीन भूमि निहित थे तो उनके द्वारा नियमित घोषणा का वाद कर अधिनस्थ न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट को अपीलाधीन भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने का जो निर्णय पारित किया है वह विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय हैं । अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि में खातेदार का नाम हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। जबकि खातेदार का नाम परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में कतई नही हैं। धारा 136 एल. आर. एक्ट में मात्र लिपिकिय त्रूटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है जिसमे दोनो पक्ष सहमत हो । भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत केवल मात्र लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता हैं। उपरोक्त दुरुस्ती लिपिकिय त्रुटि की श्रेणी में नही आती है और ना ही रिकार्ड दुरूस्ती की परिभाषा में आती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वास्तविक तथ्यों पर गौर किये बिना मंदिर माफी की भूमि को धारा 136 में दुरूस्त कर खातेदारी अधिकार दिये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी अलवर निर्णय दिनांक 04.01.2024 निरस्त फरमाया जावे।

6. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार किया। अतः न्यायहित में नकल दिनांक 08.01.2024 को प्राप्त होने से अपीलांट्स द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। न्यायहित में विवादग्रस्त भूमि मंदिर माफी की होने से राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद ग्राम बल्लाबोडा तहसील व जिला अलवर में स्थित बंदोबस्त 2020 से पूर्व खसरा नं. 128 रकबा 5 बीघा 4 बीस्वा तथा बंदोबस्त संवत 2020 में कायम खसरा नं. 161 रकबा 15 बीघा 14 बीस्वा तथा 2051 मे कायम वर्तमान खसरा नं. 248 रकबा 52 एयर खसरा नं. 249 रकबा 40 एयर एवं खसरा नं. 250 रकबा 40 एयर जमाबंदी में माफी मंदिर मदन मोहन जी महाराज का नाम दर्ज करने से दुरूस्ती को लेकर है। प्रार्थीगण द्वारा दुरूस्ती के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 के तहत पेश

संभागीय आयुक्त
जयपुर

किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जमाबंदी में दर्ज मंदिर मदन मोहन जी महाराज का नाम विलोपित कर खातेदारी अधिकार दिये जाने के आदेश दिये गये हैं। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा–136 के अंतर्गत केवल राजस्व अभिलेखों में रही लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किये जाने के प्रावधान हैं। धारा–136 में भूमि की किस्म परिवर्तित करने या खातेदारी अधिकार दिये जाने का प्रावधान नहीं है। रेस्पोडेन्ट के किसी प्रकार के हक व अधिकार अपीलाधीन भूमि में निहित थे तो उनके द्वारा नियमित घोषणा का वाद कर अधिनस्थ न्यायालय से अनुतोष प्राप्त किया जा सकता था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत अपीलाधीन भूमि में माफी मंदिर मदन मोहन जी महाराज का नाम विलोपित कर रेस्पोडेन्ट को खातेदार–काश्तकार घोषित करने का जो निर्णय पारित किया है वह गंभीर त्रुटि की श्रेणी में आता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा प्रतिपादित अनेकों न्यायिक सिद्धान्तों में मंदिर को शाश्वत नाबालिग की श्रेणी में माना गया है। शाश्वत नाबालिक के अधिकारों की रक्षा करना राज्य सरकार एवं लोकसेवकों का कर्तव्य है किन्तु उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा प्रार्थना पत्र 136 में क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर माफी मंदिर मदन मोहन जी महाराज का नाम विलोपित कर रेस्पोडेन्ट को खातेदार–काश्तकार घोषित करने के आदेश जारी किये गये हैं। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी अलवर का अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.01.2024 को निरस्त किया जाता है एवं ग्राम भूगोर तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान की आराजी खसरा नं. 248 रकबा 52 एयर खसरा नं. 249 रकबा 40 एयर एवं खसरा नं. 250 रकबा 40 एयर की खातेदारी में सम्वत् 2061–2064 में तहसीलदार अलवर द्वारा लगाया गया "माफी मंदिर" के नोट को यथावत रखा जाता है तथा भूमि विवादग्रस्त की अपीलाधीन आदेश से पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है। अपीलाधीन आदेश के पश्चात् यदि उक्त मंदिर माफी की भूमि के सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार के कोई परिवर्तन हुए हो तो वे भी सभी शून्य प्रभावी होंगें। चूँकि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर मंदिर मूर्ति शाश्वत की भूमि में धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के माध्यम से रेस्पोडेन्ट को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है जिसके लिये अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री जयन्त कुमार (आर.ए.एस.) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी किया जाना न्यायोचित होगा। ऐसे में निर्णय की प्रति कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार को भिजवाते हुऐ तत्कालीन पीठासीन अधिकारी जयन्त कुमार (आर.ए.एस.) के विरूद्ध अनुशासनात्मक करने हेतु लिखा जावें।

(डॉ. आरुषी मलिक)
समागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 02.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

समागीय आयुक्त,
जयपुर